

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक : 21/6/26

विषय :- संविदा के आधार पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर नियोजित श्री अरुण कुमार का विभागीय पत्रांक-3912 दिनांक-24.07.2017 द्वारा निर्धारित मानदेय के पुनर्निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-17616/2022 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश संख्या-153-सह-पठित ज्ञापांक-7002, दिनांक-18.12.2024 द्वारा अनुमान्य प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० में संशोधन की स्वीकृति के फलस्वरूप मूल वेतन में हुए परिवर्तन एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-107 दिनांक-04.01.2023 के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में पूर्व में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित श्री अरुण कुमार का विभागीय पत्रांक-3912 दिनांक 24.07.2017 द्वारा निर्धारित मानदेय का पुनर्निर्धारण निम्नवत् किया जाता है-

क्र० सं०	संविदा के आधार पर नियोजित श्रम प्रवर्तन पदा० का नाम/गृह जिला	सेवा निवृत्ति की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त संशोधित मूल वेतन (ग्रेड पे सहित) एवं प्राप्त महँगाई भत्ता = कुल योग	स्वीकृत संशोधित पेंशन की राशि देय महँगाई भत्ता का योगफल	निर्धारित संशोधित मानदेय (मासिक पारिश्रमिक) (4 - 5 = 6)	विभागीय पत्रांक-3912 दि०-24.07.2017 द्वारा पूर्व में निर्धारित की गयी मानदेय (मासिक पारिश्रमिक)
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अरुण कुमार गृह जिला- वैशाली	31.03.2015	27450+31018= 58468 (113%)	13725+15509 =29234	(58468- 29234=29234)	27370/-

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश है कि श्री अरुण कुमार को संविदा अवधि में भुगतान की गयी राशि की गहनतापूर्वक जाँच करने के उपरांत ही अन्तर राशि के भुगतान की नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अन्तर राशि के भुगतान के क्रम में यदि अधिक भुगतान किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो भुगतान की गयी अधिक राशि की कटौती नियमानुसार उनके पेंशन से कर ली जायगी।

विभागीय पत्रांक-3912 दिनांक 24.07.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। पत्र की शेष बातें यथावत् रहेगी।

ह०/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-150/2025 श्र०सं०- 3100 पटना, दिनांक- 21/6/26
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-150/2025 श्र०सं०- 3400 पटना, दिनांक- 21/6/26
प्रतिलिपि-उप श्रमायुक्त, दरभंगा/श्री अरुण कुमार, सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,
पता-1 एम./59 महात्मा गान्धी नगर, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, पो0-बहादुरपुर हॉउसिंग कॉलोनी,
थाना-अगमकुआँ, पटना-800026 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-150/2025 श्र०सं०- 3100 पटना, दिनांक- 21/6/26
प्रतिलिपि-आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को वेबासाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4 24/7/26
श्रमायुक्त, बिहार